



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी
जिला-अजमेर



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक RJ21/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/9297
दिनांक 16-07-2016

आवेदक का आधार नम्बर : 233042976678

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : 0

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोविन्द नारायण मीना पुत्र रामदयाल मीना गांव/नगर ग्राम नाडी पो कालेडा कंवर जी तह सावर जिला अजमेर जिला/डिवांजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

सविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोद्योग) अधिनियम 1960, बमार्ड बुनॉन अधिनियम 1960, बमार्ड बुनॉन अधिनियम 1966, विमानवाहक प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पूर्वोत्तर) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोद्योग) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अमendment) अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघोद्योग) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अमendment) तथा विद्योत्तर द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1959, संविधान (हारद तथा पालर द्वीप) अनुसूचित जाति, अधिनियम 1962, संविधान (हारद तथा पालर द्वीप) अनुसूचित जनजाति, अधिनियम 1962, संविधान (पंडिचेरी) अनुसूचित जाति अधिनियम 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) अधिनियम 1967, संविधान (मोम्बाई, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति अधिनियम 1968, संविधान (मोम्बाई, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी गोंविन्द नारायण मीना गांव/नगर ग्राम नाडी पो कालेडा कंवर जी तह सावर जिला अजमेर जिला/डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहाँ प्रयोग **साधारणतः** निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ओन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

उपस्थान अधिकारी, देवगढ़ी
Signature Kaid

Digitally signed by
BAIWA JAGDISH
NARAIN
Date: 11/01/2025
Reason: SCM
Location: Rajasthan

13730375



1521154810108208